सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 6/2016

बउनवान

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री संजय गर्ग पुत्र श्री धन्नालाल, निवासी ए–17, न्यू नाकोड़ा कॉलोनी, बारां (निर्माता, विक्रेता एवं मालिक) मेसर्स संजय भोजनालय, अहिंसा सर्किल के पास, बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री हरिनारायण सिंह एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.07.2018

प्रकरण श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.08.2015 को समय 02:30 पी.एम. पर **मेसर्स संजय भोजनालय, अहिंसा सर्किल के पास, बारां** पर पहुंचा। वहॉ पर श्री संजय गर्ग पुत्र श्री धन्नालाल निर्माता, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक एल्यूमिनियम के भगोने में लगभग 08 किलो **दही** रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उक्त **दही** का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म सं. 5 ए पर देते हुये 800 ग्राम **दही** वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 32/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 800 ग्राम **दही** को एक साफ सूखी स्टील की भगोनी में हिला मिलाकर एकरूप करके 4 साफ सुथरी एवं सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर चारों शीशीयों में फोरमिलीन की 16–16 बूंद डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर दोनो किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा जोन की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपकाकर प्रत्येक भाग पर उपर से नीचे तक चिपकाकर प्रत्येक भाग को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री मुरलीधर सुमन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केंद्रीय जन स्वास्थय प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/248 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2146/एक्ट/2015/1429 दिनांक 12.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **दही सब स्टेण्डर्ड** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/248 दिनांक 02.11.2015 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुये धारा 46(4) के अन्तर्गत सूचित किया कि अगर वे उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकते हैं। नियत अवधि में कारोबारकर्ता द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा एफ एस एस के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नही की गई है, परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये दही में किसी प्रकार की अमानकता नहीं की है बल्कि परिवादी ने अपने स्तर पर ही जांच करवाकर उक्त दही का विश्लेषण करवा लिया जो नियम विरूद्ध है। उक्त दही मानव जीवन के लिये हानिकारक अथवा नुकसानदेह नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी के प्रतिनिधि एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी के प्रतिनिधि ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **दही** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एफ एस एस के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नही की गई है, परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये दही में किसी प्रकार की अमानकता नहीं की है बल्कि परिवादी ने अपने स्तर पर ही जांच करवाकर उक्त दही का विश्लेषण करवा लिया जो नियम विरूद्ध है। उक्त दही मानव जीवन के लिये हानिकारक अथवा नुकसानदेह नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, **दही** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)